



Neutral Citation No.-2026:AHC:7198

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-450 वर्ष 2026

सिकंदर सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अशोक कुमार सिंह बैस

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह बैस, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री विवेक कुमार माहेश्वरी और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2017 के अपराध संख्या-403 में धारा 302, 120-बी भ०द०वि०, थाना-छापर, जिला: मुजफ्फरपुर नगर के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, विनोद कुमार को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-42622 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 3.12.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदक 1.11.2025 से जेल में बंद है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए वह समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का भी हकदार है।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. ज़मानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर पुरजोर विरोध किया गया है कि मृतक द्वारा संबंधित चौकी प्रभारी के समक्ष आवेदन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसे आशंका थी कि आवेदक उसे मौत की सजा दे सकता है। हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के किसी आपराधिक इतिहास के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस ने आवेदक के नामांकन से तीन बार पहले इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी और गवाहों को बाद में और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना शामिल किया गया है, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने समानता के आधार पर ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर **अनुमति** दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- सिकंदर सिंह को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो भारी ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए।

1. आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।
3. आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।
4. ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।
5. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और ज़मानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से किसी भी तरह से गवाहों की गवाही पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 12, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)